



उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT

Maksi Road P.B. No 106, UJJAIN - 456010, Madhya Pradesh

E-mail: sales.uds@sanchidairy.com

GSTIN-23AAAAU0051C1ZB

PAN No. AAAAU0051C

बाबा जय गुरुदेव आश्रम में साँची पैकेट दूध/दुग्ध

उत्पाद/घी/आईस्क्रीम आदि विक्रय के लिये अस्थाई एजेंट

चयन हेतु आवेदन आमंत्रण

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन, एम.पी. को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, भोपाल की एक ईकाई है जो साँची ब्राण्ड नाम से दूध/दुग्ध उत्पादों/घी/आईस्क्रीम का उत्पाद विक्रय करता है। दुग्ध संघ द्वारा बाबा जय गुरुदेव आश्रम, पिंगलेश्वर में सत्संग अवधि दिनांक 08.05.2026 से 13.05.2026 के लिए साँची दूध/दुग्ध उत्पाद/घी/आईस्क्रीम एवं साँची के अन्य उत्पाद विक्रय हेतु केवल सत्संग अवधि के लिए अस्थाई तौर पर एजेंट नियुक्त हेतु आवेदन आमंत्रित करता है।

एजेंट कार्य हेतु आर्थिक रूप से सक्षम, साँची पार्लर एजेंट/वितरक/अनुभवी व्यक्ति/संस्था/फर्म आदि आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक व्यक्ति/संस्था/फर्म आवेदन प्रपत्र वेबसाइट www.sanchidairy.com से डाउनलोड या दुग्ध संघ कार्यालय से रु 100/- के भुगतान पर क्रय कर पूर्णतः भरकर सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर उपरांत दुग्ध संघ की ई-मेल आई.डी. sales.uds@sanchidairy.com पर अपलोड कर अथवा दुग्ध संघ कार्यालय में भौतिक रूप से जमा कर सकते हैं। वेबसाइट से आवेदन फार्म प्राप्त किए जाने पर रु 100/- का ऑनलाईन भुगतान कर रसीद अपलोड/संलग्न की जावे। एजेंट चयन प्रक्रिया का शैड्यूल निम्नानुसार है :-

क्र.	विवरण	कार्यवाही विवरण
1.	आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि एवं समय	दिनांक 29.04.2026 से रु. 100/- के मूल्य पर क्रय कर सकते हैं।
2.	आवेदन प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 05.05.2026 तक समय दोपहर 02:00 बजे तक दुग्ध संघ की ई-मेल आई.डी. sales.uds@sanchidairy.com पर अथवा भौतिक रूप से दुग्ध संघ कार्यालय में
3.	समिति आवेदन प्रपत्र खोलने की तिथि, समय एवं स्थान	दिनांक 05.05.2026 समय दोपहर 03:00 बजे उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन, कार्यालय

प्रत्येक आवेदन प्रपत्र के साथ राशि रु 10,000/- की ऑनलाईन ई.एम.डी. जमा कर रसीद अपलोड/संलग्न करना अनिवार्य है जिसके बिना आवेदन स्वतः अमान्य होंगे। अधिक जानकारी दुग्ध संघ के विपणन कार्यालय से या मो. क्र. 9406547678 पर संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है। यदि आवेदन प्रपत्र/प्रक्रिया में कोई सुधार/संशोधन किया जाता है तो यह केवल वेबसाइट www.sanchidairy.com पर ही प्रकाशित होगा। किसी अन्य माध्यम से प्रकाशित नहीं किया जाएगा। किसी भी अथवा समस्त आवेदन को सकारण स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के पास निहित होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड़, उज्जैन म.प्र.

साँची दूध/दुग्ध उत्पाद/घी एवं साँची के अन्य उत्पाद विक्रय हेतु एजेंट कार्य हेतु आवेदन प्रपत्र भरने के लिए ध्यान रखने योग्य तथ्य:—

1. संपूर्ण आवेदन सभी प्रपत्रों एवं आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रत्येक पृष्ठ पर आवेदक के हस्ताक्षर उपरांत निर्धारित तिथि एवं समय पर दुग्ध संघ की ई-मेल आई.डी. sales.uds@sanchidairy.com पर अपलोड अथवा भौतिक रूप से दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करें।
2. ईएमडी राशि रू. 10,000/— ऑनलाईन दुग्ध संघ के निम्न खाते में जमा कर रसीद अपलोड करें। भौतिक रूप से आवेदन जमा करने पर ई.एम.डी. जमा की रसीद आवेदन के साथ संलग्न करें। वेबसाइट से आवेदन से आवेदन फार्म प्राप्त करने की दशा में आवेदन फार्म का मूल्य रू 100/— का भुगतान भी ऑनलाईन जमा कर रसीद आवेदन फार्म के साथ अपलोड करें। बिना ईएमडी आवेदन स्वतः अमान्य होंगे।

खाता धारक का नाम	>	उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
बैंक का नाम एवं शाखा	>	एच.डी.एफ.सी. बैंक, तीन बत्ती चौराहा, देवास रोड़, उज्जैन म.प्र.
खाता क्रमांक	>	09081450000164
IFSC No.	>	HDFC0000908

साँची दूध / दुग्ध उत्पाद / घी एवं साँची के अन्य उत्पाद विक्रय कार्य हेतु नियम एवं शर्तें

1. चयन प्रक्रिया—

- कोई भी ऐसे व्यक्ति / संस्था / फर्म आवेदन प्रस्तुत ना करें जिनके रिकॉर्ड पूर्व में दुग्ध संघ के साथ कार्य करते समय खराब रहे हैं अथवा उनके कार्य संतोषप्रद नहीं रहे हैं। यदि प्रस्तुत आवेदनों में से ऐसा पाया जाता है तो दुग्ध संघ द्वारा ऐसे आवेदन बिना किसी अग्रिम कार्यवाही के अमान्य किए जाएंगे।
- एजेंट के चयन हेतु आवेदनकर्ता को समस्त आवश्यक अंर्हताएँ पूर्ण कर पात्र होना आवश्यक होगा। यदि एक ही पात्र आवेदन प्राप्त होता है तो ऐसे आवेदक को चयनित किया जावेगा, परन्तु एक से अधिक पात्र आवेदन प्राप्त होने पर चयन लॉटरी द्वारा किया जावेगा। यदि सत्संग में एक से अधिक विक्रय केन्द्र स्थापित करने की स्वीकृति प्राप्त होती है तो आवश्यक संख्या में एजेंट का चयन एक से अधिक पात्र आवेदन प्राप्त होने पर लॉटरी द्वारा ही किया जावेगा।
- बाबा जय गुरुदेव आश्रम / कार्यक्रम स्थल में दुग्ध संघ को एक से अधिक स्थान प्राप्त होने पर भिन्न-भिन्न स्थानों पर पृथक-पृथक एजेंट नियुक्त किये जाएंगे।

2. चयनित आवेदनकर्ता को एजेंट कार्य प्रारंभ होने पर दूध / दुग्ध उत्पाद / घी एवं साँची के अन्य उत्पाद की मांग दुग्ध संघ द्वारा सूचित समय तक ईआरपी एप के माध्यम से ऑनलाईन देना होगी। दूरभाष पर एवं तय समय के उपरांत मांग स्वीकार नहीं होगी। मांग देने के पूर्व मांग अनुसार अग्रिम भुगतान दुग्ध संघ को प्राप्त होने पर ही प्रदायगी की जावेगी।

3. चयनित आवेदनकर्ता को उनकी मांग के अनुसार स्वयं की वाहन व्यवस्था से उज्जैन दुग्ध संघ डेयरी डॉक से बाबा जय गुरुदेव आश्रम तक दूध / दुग्ध उत्पाद एवं साँची के अन्य उत्पाद ले जाना होगा। मांग अनुसार सामग्री की जांच, परख व गिनती एजेंट अच्छे से करें, खाली क्रेट प्रतिदिन वापस करें तथा लेखा-जोखा संधारित करना अनिवार्य होगा।

4. चयनित आवेदनकर्ता को दुग्ध संघ द्वारा वितरक दरों पर दूध / दुग्ध उत्पाद एवं घी एक्स डेयरी प्रदायित किये जायेगें, जिन्हे एजेंट को निर्धारित उपभोक्ता मूल्य (MRP) पर ही विक्रय करना होगा।

5. चयनित आवेदनकर्ता को बाबा जय गुरुदेव आश्रम विक्रय स्थल पर स्वयं के व्यय से टेंट, लेबर, बिजली तथा डी-फ्रीजरो की व्यवस्था करनी होगी। दुग्ध संघ के पास उपलब्धता अनुसार डी-फ्रीजरो / वीसी कूलर एजेंट को कार्यक्रम अवधि हेतु प्रदायित करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय, उज्जैन दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा। परन्तु दुग्ध संघ इस हेतु बंधनकारी नहीं है।

6. एजेंट की कार्य अवधि—

एजेंट की कार्य अवधि दिनांक 08.05.2026 से 13.05.2026 या सत्संग अवधि तक प्रभावशील रहेगी। अवधि बढ़ाये जाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा।

7. सफल आवेदनकर्ता को कार्य आदेश जारी होने के उपरांत निर्धारित दिनांक के पूर्व एजेंट कार्य प्रारंभ करना होगा। अन्यथा स्वीकृत कार्य निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा।
8. एजेंट प्रतिस्पर्धी ब्रांडों के दूध/दुग्ध उत्पाद/घी एवं साँची के अन्य उत्पाद का विक्रय/वितरण नहीं करेंगे अन्यथा औचक निरीक्षण के दौरान ऐसा करते पाये जाने पर एजेंट कार्य निरस्त कर दुग्ध संघ में जमा प्रतिभूति राशि (EMD)राजसात कर ली जावेगी।
9. एजेंट अपना आवंटित कार्य किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं कर सकेंगे अन्यथा कार्य तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा।
10. किसी भी आवेदन अथवा समस्त आवेदनों को सकारण निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन दुग्ध संघ के पास सुरक्षित होगा।
11. सफल आवेदनकर्ता को अपने स्वयं के/फर्म के नाम से चालू खाते से विक्रय की राशि जमा करना अनिवार्य होगा।
12. आवेदनकर्ता को संयुक्त रूप से निम्न विषयों का रू 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर शपथ पत्र तैयार कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है :-
 - आवेदनकर्ता एमपीसीडीएफ एवं संबद्ध किसी भी दुग्ध संघ भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, बुंदेलखण्ड, जबलपुर के प्राधिकृत अधिकारी/प्रबंध संचालक/अधिकारी/कर्मचारी से कोई रक्त/व्यवसायिक संबंध नहीं है और न ही वह आश्रित परिवार के सदस्य हैं।
 - आवेदनकर्ता को एमपीसीडीएफ एवं संबद्ध किसी भी दुग्ध संघ द्वारा अथवा किसी भी अन्य शासकीय, अर्धशासकीय संस्थाओं से कभी भी टर्मिनेट/ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया है।
 - आवेदनकर्ता के विरुद्ध किसी भी माननीय न्यायालय, पुलिस थाना में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है।
 - उपरोक्तानुसार शपथ पत्र का प्रारूप प्रपत्र क्र. 03 पर संलग्न है। इसी के अनुरूप अवलोकन कर शपथ पत्र संलग्न करें।

घोषणा-

मेरे/हमारे द्वारा एजेंट कार्य हेतु आवश्यक सभी नियम शर्तों तथा पूर्ण आवेदन प्रपत्र को भलीभांति पढ़कर समझ लिया गया है एवं मुझे/हमें कार्य की सभी शर्तें मान्य है। मेरे/हमारे द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर उज्जैन दुग्ध संघ प्रबंधन द्वारा मेरे/हमारे विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही की जाती है तो मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

हस्ताक्षर आवेदनकर्ता

नाम.....

पता.....

मोबाईल नं.....

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
मक्सी रोड़, उज्जैन म.प्र. 456010

स्व हस्ताक्षरित
पासपोर्ट
साईज फोटो
लगावें।

आवेदन फॉर्म (APPLICATION FORM)

1. आवेदनकर्ता का नाम
2. संस्था होने की दशा में रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करें
3. पिता/पति का नाम
4. पता
5. फोन नं/मो. नं.
6. ई-मेल (अनिवार्य रूप से अंकित करें।)
7. वर्तमान व्यवसाय (यदि हो तो)
8. वर्तमान व्यवसाय का प्रकार
9. वर्तमान व्यवसाय/कार्यालय का पता
10. (a) पेन नंबर
- (b) जीएसटी नं
- (नया कार्य प्रारंभ करने की दशा में कार्य प्रारंभ से 15 दिवस की अवधि में जमा करें।)
- (c) आधार कार्ड नंबर
- (छायाप्रति संलग्न करें।)
11. FSSAI का लायसेंस
- (नया कार्य प्रारंभ करने की दशा में इस हेतु किये गये आवेदन की प्रति संलग्न करें।)
12. व्यवसाय हेतु बैंक का विवरण :-
 - चालू खाता क्रमांक
 - बैंक का नाम
 - खाता धारक का नाम
 - बैंक शाखा

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर
नाम.....

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड़, उज्जैन म.प्र.

(शपथ पत्र रू. 100/- के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)

मैं/हमनिवासी.....उज्जैन दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत बाबा जय गुरुदेव आश्रम, पिंगलेश्वर में सत्संग अवधि दिनांक 08.05.2026 से 13.05.2026 तक दूध/दुग्ध उत्पाद/घी एवं साँची के अन्य उत्पाद विक्रय कार्य के लिये आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं यह शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ कि :-

1. मेरा/हमारा एमपीसीडीएफ भोपाल एवं संबद्ध किसी भी दुग्ध संघों के अध्यक्ष, प्राधिकृत अधिकारी, संचालक मंडल के सदस्य, अधिकारी एवं कर्मचारी से किसी भी प्रकार का कोई रक्त/व्यवसायिक संबंध नहीं है एवं न ही मैं आश्रित परिवार का सदस्य हूँ।
2. मुझे/हमें कभी भी एमपीसीडीएफ एवं संबद्ध किसी भी दुग्ध संघ तथा अन्य शासकीय, अर्धशासकीय संस्था द्वारा टर्मीनेट/ब्लेक लिस्टेड नही किया गया है ।
3. मेरे/हमारे विरुद्ध किसी भी माननीय न्यायालय, पुलिस थाने में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नही है/चल रहा है।

यदि इस संबंध में किसी भी प्रकार से उपरोक्त वचन/शपथ गलत पाया जाता है तो दुग्ध संघ मुझे आवंटित कार्य निरस्त कर मेरे विरुद्ध जो भी कार्यवाही करेगा मैं/हम उसे मानने को बाध्य रहूँगा/रहेंगे।

दिनांक-

हस्ताक्षर

नाम:-

पता:-

.....